भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 5611

26 जुलाई, 2019 को पूछे जाने वाले **प्रश्न** का **उत्तर**

एम्बुलेंस सेवा

5611. [illegible]

श्री[illegible]

श्री विष्णु दयाल रामः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने का कृपा करगे किः

(क) क्या सरकार ने देश म एम्बुलस सेवाओं का कमी पर ध्यान दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) एम्बुलसां के समय पर अस्पताल नहां पहुंचने के कारण रोगियां का मौत का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है; और

(ग) क्या सरकार 104 और 108 एम्बुलस सेवाओं सहित एम्बुलस सेवाओं को चलाने के लिए राज्यां को वित्तीय सहायता प्रदान करती है और यदि हां, तो विशेषकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना म तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य का विषय होने के कारण, एम्बुलस सेवाएं उपलब्ध कराने का मुख्य जिम्मेदारा संबंधित राज्य सरकारां/संघ राज्य क्षेत्रों का है। फिर भी, राज्यां/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनी कायक्रम कायान्वयन योजनाओं (पीआईपी) म अपनी समग्र संसाधन सीमा के भीतर किए गए प्रस्तावां के आधार पर राज्यां/संघ राज्य क्षेत्रों को डायल 108, डायल 102/104 एम्बुलस सेवा, मरीजां के लिए आपातकालान चिकित्सा परिवहन एवं मरीजां के लिए अन्य परिवहन वाहनां सहित उनका स्वास्थ्य परिचया प्रणालियां के सुदृढ़ीकरण हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत तकनीका एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

डायल 108 के अंतर्गत, राज्यों को बुनियादी जीवन सहायता (बीएलएस) और अग्रिम जीवन सहायता (एएलएस) एंबुलसां दोनां के लिए सहायता प्रदान का जाती है। सहायता के मानकां म औसतन

□□□ □□□ □ा आबादा के लिए एक एएलएस एंबुलस 1 लाख से अधिक का आबादा के लिए एक □□□□□□ □□□□ □ि□□ □□ □□□ि□, □ि□ □□□ □□□दा वाले क्षेत्रों म एंबुलस का उपयोग प्रतिदिन 4 □□□ (□□ 120 किमी यात्रा) से अधिक तथा पहाड़ी क्षेत्रों म 3 □□□ (80 किमी का यात्रा) से अधिक होता है तो राज्यों □□ □ि□ि□क□ एंबुलस के लिए सहायता प्रदान का जा सकती है।

□□□□□□-□□ □ □□□ □□ □□□□□ 31 □□□, 2019 □□ □□□□□□ □□ □□□ प्र□□□□□□ □□□□108 □□ □□□□ 102/104 एंबुलस और पैनलबद्ध वाहनों का राज्य/□□ □□ज□ क्षेत्रवार संख्या □□□ग□□-I □ □□

(□) एंबुलस का असफलता के कारण रोगियों के समय पर अस्प□□□ □ □□□ □□□□□□□□□ □□□ा □त□□ा □ख□ □□□□ □ □□□□ □□-□□□□ □न्द्रीय तौर पर नहीं किया जाता है।

(□): ि□त□□□ □□ 2019-20 के लिए राष्ट्री□ □□□□ □□ □□ि□□ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सहित □□ज□वार निधियों का विवरण अनुलग्न□-II □ ि□□□ □□□ □□

---

31 □□□, 2019 □□ □□□□□□□ □□□□□□ **प्रचालनरत एंबुलसां का ब्यौ□□**

क्र.□□	□ज□/□□ □ज□ क्षेत्र	□□□□ 108	□□□□ 102/104	□न्□ □□□□ □f□□□□ □□□□	□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□
1	f□□□□	0	1049	53	1102
2	□त□□□□□	239	369	0	608
3	हिमाचल प्रदेश	200	125	0	325
4	जम्मू और कश्मीर	0	331	0	331
5	□□□□□	300	0	1803	2103
6	□ध्□ प्र□□	606	752	0	1358
7	□f□□□	512	492	0	1004
8	□□□स□□□	730	587	0	1317
9	उत्तर प्रदेश	1488	2270	250	4008
10	□त□□□□□	139	106	0	245
1 1	□रु□□□□ प्र□□	0	123	0	123
12	□□□	387	316	235	938
13	□f□□□	0	43	0	43
14	□□□□□	43	0	0	43
15	f□□□□□	0	60	0	60
16	□□□□□	0	82	0	82
17	f□□क्□□□	8	0	0	8
18	त्रि□□	0	0	0	0
19	□ध्र प्र□□	439	0	0	439
20	□□□□	45	0	4	49
21	□□□□□	585	0	2	587
22	□f□□□□□	359	0	0	359
23	□□□□□	711	0	200	911
24	□□□	43	0	0	43
25	महाराष्ट्र	937	2674	0	3611
26	□□□□	242	0	0	242
27	□f□□□□□□	936	0	0	936
28	□□□□□□	332	299	0	631
29	□□श्□□ □□□□	0	663	3410	4073
30	□□□□□ और निकोबार द्वीप समूह	0	1	0	1
31	□□□□□	6	9	0	15
32	□□□□ □□ □□□ □□□ी	0	0	0	0
33	□□□ □□ □ी□	7	4	0	1 1
34	दिल्ली	0	234	0	234
35	□क्षद्□□□	0	0	0	0
36	□□□□ी	1 1	0	0	1 1
□□□ □□□□		9305	10589	5957	25,851

□□□ग□□- II

राष्ट्रीय एंबुलस सेवा के लिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सहित राज्य-□□ स्□कृत निधियां (2019-20)

क्र.□□	□ज्□/□□ □ज्□ क्षेत्र	□□□□□ □□□□□□ स्□कृत धनराशि (लाख रुपये म)
1	□□□□ □□□□□□ द्□□□ □□□	0
2	□ध्र प्र□□	3955.9
3	□रु□□□ प्र□□	65.96
4	□□□	6975.31
5	□□□□	3797.5
6	□□□□□	72
7	□त्□□□□	11520
8	□□□□ □□ □□□ □□□	0
9	□□□ □□ □□□	2
10	दिल्ली	528
1 1	□□□	180
12	□□□□□	7223.04
13	□□□□□□	4726
14	□□□□□ प्र□□	2752.54
15	जम्मू और कश्मीर	0
16	□□□□□	4857.36
17	□□□□□	3847.2
18	□□□	0
19	□क्षद□□□	0
20	□ध्□ प्र□□	10701.36
21	□□□□ष्ट्र	2833.38
22	□□□□□	50
23	□□□□□	79.32
24	□□□□□	31
25	□□□□□	48.66
26	□□□□□	7457.35
27	□□□□□	45
28	□□□□	0
29	□□□स्□□□	2312.10
30	□□क्□□	192
31	□□□□□□□	4280.8
32	त्रि□□	0
33	□□□□□□	758.4
34	उत्तर प्रदेश	31183.2
35	□त्□□□□□	1801.44
36	□□श्□□ □□□□	7000
	□□	119,276.82